


रोस्टर पंजिका (रोस्टर प्रारम्भ 20-11-1997 से)

1. पदनाम: संस्थापन अधिकारी
2. भर्ती की रीतियां: पदोन्नति (PR) के माध्यम से
3. कैडर में पदों की संख्या(अर्थात कैडर स्ट्रेन्थ): 3
4. आरक्षण का प्रावधित प्रतिशत: अ.जा.(SC) - 16% अ.ज.जा.(ST) - 12%

कैडर स्ट्रेन्थ में बढ़ोतरी के कारण नई तालिका शेड्यूल IV (see rule-5) CADRE STRENGTH UP-TO 8 POSTS

पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण(बैकलॉग)		की गई भर्ती का विवरण					अग्रेषित आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)
अ.जा	अ.ज.जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एवं बिन्दु संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व./आ.क.व. के लिए आरक्षित है	नियुक्त व्यक्ति का नाम तथा नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व./आ.क.व. है, यदि नहीं तो नहीं लिखे	अ.जा	अ.ज.जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	2020-21	1	अनारक्षित(UR)	श्री कुलदीप सिंह राजावत	नहीं				अनारक्षित(UR)
		2022-23	2	अनारक्षित(UR)	श्रीमती सतोष ओजवानी	हां				अ.जा (SC)
			3	अनारक्षित(UR)	रिक्त					

नोट - नोटिफिकेशन दिनांक 18.09.2009 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार नियम -5 में अनुसार आरक्षित अभ्यासी विधेयता के आधार पर अनारक्षित पद पर नियुक्त होता है उसको गणना आरक्षित पद में समायाजित की जायेगी। उपरोक्त रोस्टर राजस्थान सरकार के सर्कुलर नम्बर एफ15(24)डीओपी ए-11/75 दिनांक 20.11.1997 तत्पश्चात नोटिफिकेशन नम्बर एफ15(24)डीओपी ए-11/75 पीटी दिनांक 18.09.2009 व सर्कुलर नम्बर एफ7(2)कार्मिक/क-2/19 दिनांक 24.02.2020 के निर्देशानुसार तैयार किया गया है।

  
 निदेशक  
 सफ़ाई शिक्षा निदेशालय  
 राजस्थान, जोधपुर